1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/110/2016

दरम्यान

1 बाबूलाल पुत्र हरीकिशन जाति ब्राह्मण निवासीयान मक्खन कानमला तहसील कठूमर

——— सायल

बनाम

1. मनोहरी पुत्र सूरजभान जाति ब्राह्मण
2. निरंजन पुत्र मनोहरी जाति ब्राह्मण
3. लेखी उर्फ लेखराज पुत्र मनोहरी जाति ब्राह्मण

निवासी मक्खनकानमला तहसील कठूमर जिला अलवर

——— गैरसायलान

दफ0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री संजय कुमार अवस्थी : वकील सायल

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता गैरसायलान

आदेश दिनांक 13.06..2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 383 रकवा 0.92 हे. वाके ग्राम मक्खनकानमला तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी सायल के 5/16 हिस्सा तर0 प्रति0 सं0 4 के 5/16 हिस्सा तर0प्रति0सं05 के 1/8 हिस्सा तर0प्रति0सं0 6 के 1/8 हिस्सा तर0प्रति0सं0 7 के 1/8 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस आराजी का सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ला07 ने मौके एंव काश्त की सुविधानुसार मौके पर बहामी तकासमा किया हुआ है वमुताविक वहामी तकासमा सायल को विवादित आराजी का 5/16 हिस्सा तरफ पूर्व रकवा 0.29 हे. तन्हा हक हिस्सा व कब्जे में आया हुआ है। जिस पर सायल अनन्य रूप

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

से काविज रहकर काष्त करता चला आ रहा है। शेष 11/16 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7 का है। विवादित आराजी के तर्फ पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 388 रकवा 0.11 हे. ग्राम मक्खनकानगला गैरसायल संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 8 ला0 17 के संयुक्त कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी का इन्होंने मौके पर वहामी तकासमा किया हुआ है कि जिस घरेलु तकासमा में खसरा नम्बर 388 रकवा 0.11 हे. गैरसायलान के तन्हा कब्जे में आया हुआ है। जिस की गैरसायलान द्वारा बाउण्ड्रीबाल करवाई हुई है तथा इसमें एक बास्ते पानी पीने की विजली की सिंगल फैस की बोरिंग लगवाई हुई है तथा इसी आराजी में सायल की विवादित आराजी की तरफ एक पुख्ता कमरा बना हुआ है जिस कमरे में दो रोशनदान व दो उपर छत की मोरी सायल के खेत की तरफ है। जिसका सायल ने मौका नक्षा प्रार्थना पत्र के साथ पेष किया है। जिस नक्शा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 383 का बरंग नीला गैरसायलान के पुख्ता मकान को बरंग पीला वो विवादित आराजी की तरफ बरंग पीले कमरे में गैरसायलान द्वारा निकाली गई छत की मोरियों को बरंग लाल वो रोशनदान को बरंग हरा से दर्शित किया गया है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो सायल का विवादित आराजी से जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है। गैरसायलान द्वारा सायल की आराजी की तरफ अपने कमरे में निकाले गये मोरी रोशनदान आदि को बन्द करने व विवादित आराजी की तरफ वहने वाले मोरियों के पानी को गिरने से रोकने की हां करली लेकिन वाद में मना कर दिया गेरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम ना तो तुम्हारे खेत की तरफ निकाले गये रोशनदान मोरियों को हटायेगें और ना मोरियों के पानी को गिरने से रोकेगें। गेरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो विवादित आराजी में मोरियों के पानी गिरने से फसल नष्ट हो जायेगी सायल की धर्मशाला एंव देवताओं के थानों पर गंदा पानी व मल मूत्र आ जावेगा एंव सायल विवादित आराजी पर शांति पूर्वक कास्त नहीं कर सकेगा। गैरसायलान सायल की आराजी की तरफ गली का अधिकार प्राप्त कर लेगा। गेरसायलान इस आराजी में मकान बनाकर अपने मकान में सायल की आराजी की तरफ और मोरी रोशनदान जंगला वगैरा कायम कर लेगा। विवादित आराजी की तरफ बरंग पीले कमरे के चपेटवां कमरा एंव लेटरीन बाथरूम निर्माण कर इनमें विवादित आराजी की तरफ रोशनदान जंगला मोरी छजली दरबाजे विवादित आराजी की तरफ निकाल लेगें। सायल के खेत को खेद कर उस में होकर अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन डाल देगे। खसरा नम्बर 383 में आने जाने का रास्ता व धर्मशाला एंव देवताओं के थानों पर आने जाने का रास्ता बन्द हो जावेगा। जिससे सायल को अपार हानि व क्षति

खण्ड अधिकारी
...टूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

होगी सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेंगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी। अतः सायल ने गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक खसरा नम्बर 383 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर की तरफ अपने पुख्ता मकानात में कोई रोशनदान छजली मोरी दरबाजा जंगला टोडे छज्जे आदि कायम ना करने तथा विवादित आराजी में होकर सिंचाई बास्ते अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन ना डालने व सायल को उक्त आराजी के शांति पूर्वक कब्जे काष्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें एंव मोका एंव रेकार्डकी यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेष से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव तर0 प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की दर्ज रेकार्ड व अवट आराजी है जिसका मौके पर कोई कानूनी तकासमा नहीं है। लेकिन विवादित आराजी गांव के चपेटवां होने के कारण आबादी के काम में आ रही है। जिस पर देवताओं के थान व धर्मशाला बनी हुई है। विवादित आराजी के तर्फ पूर्व में गैरसायलान की शामलात खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 388 है। जिसमें तर्फ पश्चिम को कमरा बना हुआ है जो कमरा मिन गैरसायलान के खसरा नम्बर 388 में बनाया है तथा खसरा नम्बर 388 की शेष जमीन मिन गैरसायलान ने खसरा नम्बर 383 के सहारे सहारे छोड रखी है मौका नक्शा मौके के विपरीत है। सायल को गैरसायलान के मोरी जंगला छज्जी को बन्द कराने का अधिकार नहीं है। सायल को किसी तरह का नुकशान नहीं होता है। सायल ने प्रार्थना पत्र सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायल ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 वाके ग्राम मक्खनकानगला की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 383 सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है इसके चपेटवां ही गैरसायलान का खेत खसरा नम्बर 388 है। गैरसायलान ने इस खेत में एक कमरा बनाकर सायल के खेत की तरफ मोरी जंगला रोशनदान जबर्दस्ती निकाल दिये है तथा गैरसायलान सायल को विवादित आराजी के कब्जे कास्त में बाधा पैदा करते है तथा अपने खेत में और निर्माण कर सायल के खेत की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तरफ मोरी निकास जंगला रोषनदान वगैरा निकालना चाहते है। सायल के रास्ता को वन्द करना चाहते है। अतः गैरसायलान को ता फेसला दावा पावन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का मौके पर कोई कानूनी तकारामा नहीं है। लेकिन विवादित आराजी गांव के चपेटवां होने के कारण आवादी के काम में आ रही है। जिस पर देवताओं के थान व धर्मषाला वनी हुई है। विवादित आराजी के तर्फ पूर्व में गैरसायलान की शामलात खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 388 है। जिसमें तर्फ पश्चिम को कमरा वना हुआ है जो कमरा मिन गैरसायलान के खसरा नम्बर 388 में वनाया है तथा खसरा नम्बर 388 की शेष जमीन मिन गैरसायलान ने खसरा नम्बर 383 के सहारे सहारे छोड रखी है मौका नक्षा मौके के विपरीत है। सायल को गैरसायलान के मोरी जंगला छज्जी को बन्द कराने का अधिकार नहीं है। सायल को किसी तरह का नुकषान नहीं होता है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 वाके ग्राम मक्खनकानगला के अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 383 वाके ग्राम मक्खनकानगला सायल एंव अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें गैरसायलान का कोई हक हिस्सा नहीं है। जहां तक खसरा नम्बर 383 के सहारे सहारे गैरसायलान की जगह होने का प्रश्न है इसका निस्तारण तो मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय होगा। कानूनन गैरसायलान को सायल के खेत की तरफ मोरी रोशनदान निकालने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान निर्मित कमरे के अलावा अपने खेत में और निर्माण कर विवादित आराजी की तरफ मोरी जंगला रोशनदान आदि निकालते है तो वो भी गैरकानूनी है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे कास्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

में बाधा पैदा करते है या मोरी रोशनदान दरबाजा निकालते है तो इससे सायल को नुकशान होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकषान होता हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 383 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर की तरफ अपने पुख्ता मकानात में कोई रोषनदान मोरी जंगला दरबाजा टोडे छज्जे आदि कायम नहीं करे। मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 13.06.2018 को यह आदेष मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner